(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 खुशाल
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 65 / 2023

महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333042

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 21.06.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.04.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 65 / 2023 पर दिनांक 04.04.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2023 / 1261—62 दिनांक 04.04.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2023 / 175 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 28.02.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 23 / 155 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्रार्थी को 1 लगायत 5 की सूचना समय पर प्रेषित कर दी गई है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा पत्रांक सू0अ0अ0 / 2023 / 175 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 28.02.2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 23 / 155 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्रार्थी को 1 लगायत 5 की सूचना समय पर प्रेषित कर दी गई है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 खुशाल)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं